न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 177/2019

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. डांवरराम पुत्र जोगाराम जाति–कुमावत निवासी–बेरा भागरवाली ग्राम–बिरोल जैतारण		1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली राज.। 2. रूगाराम पुत्र जोगाराम कुमावत 3. चैनाराम पुत्र जोगाराम कुमावत निवासीगण–बेरा भागरवाली बिरोल तहसील–जैतारण जिला–पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.27/08/2019

उपस्थितः–

1. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी एवं राजुराम कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 18/02/2020

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–बिरोल, पटवार हल्का– बिरोल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील–जैतारण जिला–पाली में खसरा नंबर 366 रकबा 59 बीघा किस्म चाही प्रथम की कृषि भूमि आई हुई है जिसमें वादी अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। उक्त आराजी के तत्तकालीन खातेदार पुखराज पुत्र पेमाराम जाति–कुमावत निवासी बिरोल तहसील–जैतारण जिला–पाली राज. से उसके हक हिस्से की 17/18 में से 1/3 हिस्से की भूमि में से 18/37 वें हक हिस्से की भूमि वादी व रूगाराम पुत्र जोगाराम तथा चेनाराम जातियान कुमावत निवासीगण बेरा भागरवाली ग्राम बिरोल तहसील–जैतारण जिला–पाली ने जरिये पंजीबद्ध बेचान के दिनांक 24.05.2018 को खरीद की उसकी रजिस्ट्री की प्रति पटवारी महोदय बिरोल को म्युटेशन हेतू दी परन्तु पटवारी हल्का बिरोल ने म्युटेशन संख्या 1451 दिनांक 20.07.2018 को भरते समय भूल व गलती से वादी का नाम दर्ज करना सहवन से रह गया, जो एक मानवीय त्रुटि है जिसका वादी सुधारवाने का अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। रजिस्ट्री की प्रति साथ संलग्न है। वादी को अपने हक हिस्से की भूमि पर ऋण लेने की आवश्यकता होने पर वादी ने पटवारी हल्का बिरोल से राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 20.08.2019 को प्राप्त की तब वादी को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं है तब वादी ने पटवारी हल्का बिरोल एवं तहसीलदार जैतारण से अपना नाम दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया तो उन्होंने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहा इसलिए यह वादपत्र बाबत घोषणा का श्रीमान के समक्ष पेश है। वादी उक्त भूमि का सद्भाविक क्रेता है जो खरीद के समय से लेकर आज दिन तक अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर मौके पर काबिज होकर

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

काश्त करता चला आ रहा है परन्तु राजस्व रेकर्ड में तत्कालीन पटवारी महोदय द्वारा वादी का नाम सहवन से इन्द्राज करना रह गया। जिससे वादी को अनेको प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है एवं वादी सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं से फायदा नहीं उठा पा रहा है न ही ऋण आदि व किसानकार्ड बन रहा है तथा इसलिए सहखातेदारों के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नहीं चाही गई है इसलिए उनको इस वादपत्र में प्रतिवादी पक्षकार समयोजित नहीं किया गया है। बिनाय वाद दिनांक 20.08.2019 को पटवारी हल्का व तहसीलदार जैतारण से सम्पर्क करने एवं उसके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत कथन करने पर न्यायालय आदेश से ही राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम दर्ज करने का कथन करने पर बमुकाम बिरोल तहसील जैतारण जिला–पाली में पैदा हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ।

राजीनामा वादी डावरराम व प्रतिवादीगण संख्या 02 रुघाराम व 03 चेनाराम की ओर पेश हुआ, राजीनामे में व्यक्ति किया कि वादी ने वादपत्र खरीदसुदा कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा बिरोल पटवार हल्का बिरोल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील– जैतारण जिला–पाली के खसरा नंबर 366 रकबा 59 बीघा किस्म चाही प्रथम की कृषि भूमि के संबंध में श्रीमान के समक्ष पेश किया। उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण ने सामलाती दिनांक 24.05.2018 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख खरीद की तथा उक्त बेचाननामे की रजिस्ट्री पटवारी महोदय बिरोल को म्युटेशन भरने हेतू दी परन्तु पटवारी हल्का बिरोल ने म्युटेशन संख्या 1451 दिनांक 20.07.2018 को भरते समय वादी का नाम इन्द्राज करना सहवन से रह गया जो एक मानवीय त्रुटि है। जिस बाबत यह राजीनामा पेश कर रहे है तथा वादी का नाम उपरोक्त भूमि में 18/37 वें हक हिस्से में हम प्रतिवादीगण रुघाराम व चेनाराम के साथ वादी डावरराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है। अतः राजीनामा पेश कर अर्ज है कि राजीनामा तस्दीक कर जरिये राजीनामा वादी का वाद डिक्री व निर्णय फरमावे।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वाद–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा संयुक्त रूप से जरिए पंजीकृत बैचान दिनांक 24.05.2018 को वादग्रस्त आराजी क्रय की थी परन्तु नामांतरण स्वीकृत करते समय सहवन से वादी का नाम छूट गया और केवल प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के नाम ही नामांतरण स्वीकृत कर दिया गया, अतः उसे वादग्रस्त आराजी ग्राम–बिरोल, तहसील–जैतारण, जिला–पाली के खसरा संख्या 366, रकबा 59 बीघा में 17/18 के 1/3 हिस्से में से 18/37 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के साथ समान हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जावें।

उपपंजीयक, जैतारण द्वारा निष्पादित पंजीकृत बैचाननामा संख्या 201803224101939 दिनांक 24.05.2018 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विक्रेता पुखराज पुत्र पेमाराम द्वारा ग्राम–बिरोल के खसरा संख्या 366, रकबा 59–00 बीघा में से अपना हिस्सा 17/18 का 1/3 में से 18/37 वां हिस्सा क्रेता रुगाराम, चेनाराम एवं डावंरराम सभी पुत्र जोगाराम को बैचान कर दिया था, परन्तु

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

उक्त बैचाननामा के आधार पर स्वीकृत नामांतरण संख्या 1451 में केवल रूगाराम एवं चेनाराम जो कि प्रतिवादी संख्या 02 व 03 है के नाम ही स्वीकृत किया गया तथा वादी का नाम दर्ज नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि वादी अपना नाम प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 के साथ दर्ज करवानें का अधिकारी है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा दिनांक 26.11.2019 को राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने वाद-वादी से सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक राजीनामा वाद-वादी निर्णित एवं डिकी करनें की प्रार्थना की हैं। हमनें राजीनामें का परीक्षण किया। राजीनामा विधिसंगत एवं स्वीकार करने योग्य है, अतः हम वाद-वादी मुताबिक राजीनामा निर्णित एवं डिकी करना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 जरिए राजीनामा भंली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। ग्राम-बिरोल, तहसील-जैतारण, जिला-पाली के खसरा संख्या 366, रकबा 59 बीघा किस्म चाही प्रथम में 17/18 के 1/3 हिस्से में से 18/37 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 02 रूगाराम व प्रतिवादी संख्या 03 चैनाराम के साथ वादी डांवरराम पुत्र जोगाराम को समान हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है, शेष यथावत रहेगा। तदनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद हो। इसी कदर पर्चा डिकी पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 18/02/2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–:: वादी ::–

1. डांवरराम पुत्र जोगाराम
जाति–कुमावत निवासी–बेरा
भागरवाली ग्राम–बिरोल जैतारण

बनाम

–:: प्रतिवादीगण ::–

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली
राज.।
2. रूगाराम पुत्र जोगाराम कुमावत
3. चैनाराम पुत्र जोगाराम कुमावत
निवासीगण–बेरा भागरवाली बिरोल
तहसील–जैतारण जिला–पाली
राज0।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 177/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....–....... व हाजरी श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व रामस्वरूप चौधरी , राजुराम कुमावत प्रति. मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 जरिए राजीनामा भंली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। ग्राम–बिरोल, तहसील–जैतारण, जिला–पाली के खसरा संख्या 366, रकबा 59 बीघा किस्म चाही प्रथम में 17/18 के 1/3 हिस्से में से 18/37 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 02 रूगाराम व प्रतिवादी संख्या 03 चैनाराम के साथ वादी डांवरराम पुत्र जोगाराम को समान हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है, शेष यथावत रहेगा। तदनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद हो। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर . ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 18/02/2020 को सरे ईजलास जारी किया गया ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

मोहर

मुद्दई	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02–00
स्टाम्प वकालतनामा	01–00
स्टाम्प वजह सबूत	01–00
महनताना वकील	02–00
खर्चा गवाहान	=
फीस कमीश्नर	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	
मिजानः–	06–00

मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	01–00
स्टाम्प अर्जी	
महनताना वकील	
खर्चा गवाहान	
फीस कमीश्नर	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	
मुत्फरिक	
मिजानः–	01–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.02.26 11:07:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: